10th September, 2026

To,
The Manager,
Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051

NSE Symbol: MAXPOSURE

Subject: Submission of copies of Newspaper Publication- Post Dispatch – Notice of 20th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper publications containing the Notice of the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company, along with the information relating to Book Closure, E-voting, etc., published in the newspapers on 10th September, 2026 mentioned below:-

1. Financial Express : English Newspaper (All India Edition)
2. Jansatta : Hindi Newspaper (Delhi Edition)

We further wish to inform you that the 20th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September 2026 at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means.

You are requested to kindly take the aforesaid disclosure on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Maxposure Limited

PRIYA KESARI
Digitally signed by PRIYA KESARI
Date: 2026.09.10 10:32:42 +05'30'

Priya Kesari
Company Secretary and Compliance Officer
ACS 22710

Maxposure Limited
#TheAddress, Plot No 62,
Okhla Phase-3, New Delhi-110020, India
Tel +91-11-43011111, Fax +91-11-43011199
CIN L22229DL2006PLC152087
cs@maxposuremedia.com
maxposuremedia.com

सार्वजनिक सूचना

मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्वारा मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (सीन U92130KL2009PTC023839) के लेनदारों को सूचित किया जाता है कि दिनांकित 09.09.2026 के प्रपत्र ए में प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा के मद संख्या 10 के सामने उल्लिखित प्रक्रिया ई-मेल आईडी में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। अतः सभी लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को एक प्रति प्रपत्र ए के मद संख्या 09 में दर्शाई गई अंतरिम समाधान पेशेवर की व्यक्तिगत ई-मेल आईडी, अर्थात jossysk@gmail.com पर भी भेजें। इसे किसी भी असुविधा के लिए खेद है।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम एवं हस्ताक्षर:

एसडी/- अधिवक्ता जॉसी स्टीफन कदूर

IBBI/IPA-002/IP No.1056/2021-2022/13627

दिनांक: 10.09.2026

स्थान: एर्नाकुलम

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

पंजी. कार्यालय: जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर – 135001, हरियाणा

दूरभाष. 0129-4006885; वेबसाइट: www.jaispring.com

ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो खोलना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो प्रदान की थी। ये वे डीड्स थीं जिन्हें निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले ट्रांसफर के लिए जमा किया था, लेकिन कमियों के कारण उन्हें अस्वीकृत, वापस कर दिया गया था, या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सेबी ने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-PoD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से इस विशेष विंडो को एक (1) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विशेष विंडो, 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। पात्र निवेशक ऐसी ट्रांसफर डीड्स को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, 04 फरवरी, 2027 को या उससे पहले फिर से जमा कर सकते हैं। उक्त सर्कुलर के अनुसार, ट्रांसफर के लिए फिर से जमा की गई प्रतिभूतियों (रिक्वेस्टेड) निर्धारित डिपॉजिटरी खाते में लॉक-इन के लिए डीमैटेरियलाइज्ड रूप में ही जारी की जाएंगी। इस विंडो के तहत ट्रांसफर की गई सिक्योरिटीज को पाने वाले के खाते में सिर्फ डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए उन पर लॉक-इन लागू होगा। लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी सिक्योरिटीज को न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न ही उन पर कोई लियन या प्लेज मार्क किया जा सकेगा।

निवेशक इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं: स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-40450193-197, ईमेल: grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com

भवदीय

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

प्रवीण लखेरा

कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख

स्थान: फरीदाबाद

दिनांक: 9 सितंबर, 2026

वूमनकार्ट लिमिटेड

CIN: L74999DL2018PLC336138

पंजीकृत कार्यालय का पता: एल-14/37, IIIरी मंजिल, सेक्टर डाउन-II, नई दिल्ली-110008

ईमेल आईडी: info@womancart.in, wcart2018@gmail.com, Madhusudanpahwa1970@gmail.com

वेबसाइट: www.womancart.in, फोन: +91 9311866860, +91 9811382449

वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 08वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर 03:00 बजे (भा.मा.स.) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मॉडल टाउन-II, नई दिल्ली-110009 में सदस्यों को भौतिक उपस्थिति के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-2026 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पंजीकृत हैं।

रिमोट ई-वोटिंग: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 के नियम 20, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य ध्यान दें कि सूचना में निर्धारित कार्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं:

1. रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ होने का दिनांक और समय: 27 सितंबर 2026 ...
2. ई-वोटिंग की अवधि: ई-वोटिंग 27 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर 2026 तक शेयर धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए निर्देशों और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं।
4. केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए ही मानना चाहिए।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
6. नोटिस की प्रति ... कंपनी की वेबसाइट: www.womancart.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट: evoting.nsdl.com पर और एनएसई इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट: https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 011-23353814/15 पर कॉल कर सकते हैं या श्री नरेंद्र देव, वरिष्ठ प्रबंधक को narendrad@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। जो सदस्य बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता चाहते हैं, वे evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या 011-23353814/15 पर संपर्क कर सकते हैं।

वूमनकार्ट लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

मधु सूदन पहवा

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07661541

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04.09.2026

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27-बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

शाखा कार्यालय: एपीआरआई मॉल, दूसरी मंजिल, 68, 68/1, नवलगंज रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें], कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 27-बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 तथा शाखा कार्यालय एपीआरआई मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नवलगंज रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 में स्थित है, के कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या HF-41067649 तथा HF-41100470 तथा HF-41069626 तथा HF-41178664 के लिए तिथि 29/05/2026 की मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक(कों)/सह-ऋणधारक(कों) 1), श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जानकी प्रसाद (ऋणधारक तथा बंधककर्ता) (2), श्री जानकी प्रसाद पुत्र श्री भरत (सह-ऋणधारक) (3), श्रीमती कुसुम पत्नी श्री जानकी प्रसाद (सह-ऋणधारक) (4), मैसर्स जे.के. मार्बल्स (प्रोप्राइटर) से उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 34,12,775.48/- (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उपर्युक्त ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिथि 08-09-2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन तिथि 13/05/2026 के अनुसार रु. 34,12,775.48/- (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) की एक राशि एवं तिथि 14/05/2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज तथा प्रासंगिक व्यय, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह संपूर्ण भाग तथा खंड जिसमें शामिल है :- खसरा संख्या 507 के भाग की भूमि पर निर्मित मकान, जिसका माप 800 वर्ग फुट (74.349 वर्ग मीटर) है, कुल निर्मित क्षेत्र 900 वर्ग फुट (83.643 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम/मोहल्ला गौरभीठ, वार्ड- फैजुल्ला गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020 में स्थित है। सीमाएं :-उत्तर : मोहम्मद अजहर का प्लॉट, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : शालिया बेगम का प्लॉट, पश्चिम : सड़क 20 फुट चौड़ी।

तिथि : 08-09-2026, स्थान : लखनऊ (प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com, वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआईएन: U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

[illegible]

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारियों (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDEL HOU 19000001026	[illegible]	02-09-2026 तक रु. 11,84,747/-	02-09-2026	07-08-2026

[illegible]

दिनांक: 10.09.2026 | स्थान: दिल्ली | हस्ता/ -अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com, वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआईएन: U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

[illegible]

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारियों (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
H-FKRNLAP21000015657	सतीश कुमार के कानूनी वारिस, निर्मला देवी, अरुण कुमार	02-सितंबर-2026 तक रु. 16,63,106/-	02.09.2026	04-08-2026

[illegible]

दिनांक: 10.09.2026 स्थान : पानीपत हस्ता/ -अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र नं. 14

[विनियम -33(2) देखें]

वसूली अधिकारी कार्यालय- I/II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/109/2026 09-07-2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक)

बनाम

मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज

सेवा में,

(सीडी1) मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज बी-508, सुशांत लोक फेज-1, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा-122001 **साथ ही:** बी- प्लॉट नंबर 566, उद्योग विहार-5, डाकघर के पास, गुरुग्राम, हरियाणा **साथ ही:** बी-417, प्रथम तल, सुशांत लोक-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122009

साथ ही: फ्लैट नंबर 108, आइवरी टावर्स रिट्रीट कॉम्प्लेक्स, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा

साथ ही: डी-220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल-121102

साथ ही: फ्लैट नंबर 566, तृतीय तल, फेज- II, ओमेक्स सिटी, पलवल

(सीडी2) श्री महेश तंवर पुत्र श्री विजय पाल फ्लैट नंबर 232, सपना घर अपार्टमेंट, पॉकेट-6बी, सेक्टर- II, द्वारका, नई दिल्ली **साथ ही:** डी-220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल-121102

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 2)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/726/2022** पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रु 9290061 (केवल बानवे लाख नब्बे हजार इकसठ रुपये)** की राशि, **20/11/2018** से वसूली होने तक **@ 12.25 %** साधारण सालाना ब्याज के साथ, और इसके अलावा **95,000 (केवल पचानवे हजार रुपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से / पूर्ण / सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **30.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 09.07.2026 को दिया गया।

हस्ता/-

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

डेविन संस रिटेल लिमिटेड

CIN: L14101DL2022PLC393510

पंजीकृत कार्यालय: 609, छठा तल, पी.पी. सिटी सेंटर, प्लॉट नं. 3, रोड नं. 44, पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034, भारत। फोन नं.: 01145092127, ईमेल आईडी: info@davinsonsretail.com, वेबसाइट: Davin Sons Retail Ltd.

04वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि डेविन संस रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") की 04वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित करने के लिए बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोप. 03:00 बजे (भा. मा. स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 है, और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनी ने एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 08 सितंबर, 2025 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब-लिंक और पाथ प्रदान किया गया है।

2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट Davin Sons Retail Ltd. पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के नियम 44 और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभा पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड - 2 के अनुपालन में, कंपनी को एजीएम में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के अधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी, और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

क)	ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि	बुधवार, 23 सितंबर, 2026
ख)	रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	रविवार, 27 सितंबर, 2026 सुबह 09:00 बजे से
ग)	रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 शाम 05:00 बजे तक

सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों पर रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान अपना वोट डालने का अवसर होगा। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, ऐसे सदस्यों के लिए रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान वोट करने का तरीका एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किया गया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो ईमेल के माध्यम से सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर या इश्यूअर/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, 4थी मंजिल, 'ए' विंग ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 से संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 210 9911 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का संदर्भ लें।

डेविन संस रिटेल लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

मोहित अरोड़ा

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07231072

दिनांक: 08.09.2026

स्थान: नई दिल्ली

"फार्म नं. आइएनसी-25ए"

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के विषय में

और

जीउस ड्रग्स लिमिटेड (CIN: U85121UW2006PLC256952) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-21-22, वर्धमान प्लाजा, गढ़ रोड, गांधी आश्रम, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002 में स्थित है। ......आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है तथा इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 04.09.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड में बदलने की इच्छुक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय पर डिलीवर करें अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजें:

हिते एवं कृते याचिकाकर्ता

जीउस ड्रग्स लिमिटेड

हस्ता/-

राजीव कुमार शर्मा

निदेशक

डीआइएन: 01970515

तिथि: 10.09.2026

स्थान: मेरठ

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

Aavas — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार सांम्पिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
सुनीता देवी, राजू राजू, शीतल शीतल, विशाल कुमार जमानतदार : अमन कुमार खाता सं. 221226002570121 व 221226002714239	05 सितम्बर 2026 ₹ 700634/- व ₹ 222055/- 04 सितम्बर 2026	खेत नं. - 644, कुंदा, रीचा तहसील जिला - बरैली **क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट**
स्व. श्रीमती सुनीता जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी श्याम सुन्दर, श्याम सुंदर खाता सं. 231218202966001	05 सितम्बर 2026 ₹ 520674/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 93 का पूर्वी भाग, स्थित खसरा नं. 514 मौजा महोली, अंदरून बृजराज कॉलोनी, तहसील व जिला मथुरा उ.प्र. **क्षेत्रफल 58 वर्ग मीटर**
हरी शंकर, सोम बाटी खाता सं. 241226004116394	05 सितम्बर 2026 ₹ 139762/- 04 सितम्बर 2026	ई.डब्ल्यू.एस. मकान नं.-डी/06, ब्लॉक-07, तीसरी मंजिल, मेगा इको पार्क योजना, पूरनपुर, कुवांटांडा, बरेली, उत्तर प्रदेश 243123
सुमित सिंह, मधु सिंह खाता सं. 241224604173935	05 सितम्बर 2026 ₹ 1029972/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 24 खसरा नं. 409 के का हिस्सा, केएच वाके मौजा लोधई तह. व जिला. आगरा उत्तर प्रदेश 283125 **क्षेत्रफल 94.45 वर्ग गज**
अक्षय कुमार, सवीता सवीता, ब्रिजपाल ब्रिजपाल जमानतदार : अरविंद कुमार खाता सं. 241225304491198	05 सितम्बर 2026 ₹ 1072804/- 04 सितम्बर 2026	खसरा नं. 159, स्थित ग्राम मच्छरहेरी तह. व जिला शाहरनपुर उत्तर प्रदेश (भारत) - 247001/ **क्षेत्रफल 152.96 वर्ग मीटर**
चन्दर वीर सिंह, बीना देवी जमानतदार : विकास कुमार खाता सं. 251236804941193	05 सितम्बर 2026 ₹ 1043307/- 04 सितम्बर 2026	वाके-ग्राम/वी कोड 0209, मुहल्ला रविदास नगर नूरपुर, परगना बूढ़तहसील चांदपुर जिला बिजनोर उ.प्र. **क्षेत्रफल 125.11 वर्ग मीटर**
अनुज सैनी, अल्का सैनी, शेर सिंह खाता सं. 241223304564718	05 सितम्बर 2026 ₹ 1021658/- 04 सितम्बर 2026	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 244, ग्राम फरकपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (भारत) - 251327 / **क्षेत्रफल 215.520 वर्ग मीटर**

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक 10.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड

सीआईएन: L01111DL1995PLC107286

पंजीकृत कार्यालय : सी-47 जी/एफ, शिवालिक कॉलोनी, मालवीय नगर, शेमरॉक स्कूल के पास, मालवीय नगर (दक्षिण दिल्ली), दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017. **ईमेल आईडी :** srusteels95@gmail.com; **वेबसाइट :-** www.sru-steels.com; **फोन** +91 7567730702

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, यथा संशोधित ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 33 के अनुपालन में, एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मंगलवार, 08 सितंबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों और वित्तीय विवरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैसर्स बिहारी शाह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.sru-steels.com पर भी उपलब्ध हैं। सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 47 के अनुपालन में हम एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि ये परिणाम नीचे दिए गए क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता /-

अखिल अरोड़ा

प्रबंध निदेशक और सीएफओ

(डीआईएन : 11329665)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 09 सितंबर, 2026

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

SBFC

पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

शाखा का पता: एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ-7, प्रथम तल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024।

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित सुरक्षित आस्ति का कब्जा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए लिए जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो सुरक्षित लेनदार के कब्जे में है, "जैसी है जहां है के आधार पर", "जैसी है जो है के आधार पर" और "जैसी है जो कुछ भी है के आधार पर"। नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित प्रत्येक संपत्ति के विरुद्ध होगा और तदनुसार बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% होगी, जिसे इच्छुक बोलीदाता(ओं)/क्रेता(ओं) द्वारा बोली के साथ "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से एसबीएफसी शाखा कार्यालय "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ-7, प्रथम तल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024।" में 28.09.2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) जमा करना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता/क्रेता बिक्री प्रतिफल का कम से कम 25% (बोली के साथ भुगतान की गई ईएमडी राशि सहित, बिक्री की पुष्टि के उसी दिन या अगले कार्य दिवस से देर नहीं, जमा करेगा। शेष बिक्री प्रतिफल बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक होगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आर.पी. का 10%)	कुल ऋण बकाया राशि (दिनांक 31.08.2026 तक)
1. विनोद कॉफी कोल्डड्रिंक शॉप, मयूर विहार, पीएच-1, गैलेरिया मॉल, गेट नंबर 3, दिल्ली- 110091 2. विरेन्द्र कुमार, 3. दुर्गा देवी, 4. राम किशोर, 5. गोमती देवी, पता: बाईके झुग्गी कैंप, यमुना खादर, चिल्ला सरोदा खादर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110091 और साथ ही, 1क विनोद कॉफी कोल्डड्रिंक शॉप, फ्लैट नं.सी-6, दूसरी मंजिल पर, प्लॉट नं.एफ-20 और प्लॉट नं.एफ-21, खसरा नंबर 156ए, साई उपवन, गांव यूसुफपुर चक सवेरी, गौतम बुध नागर, उत्तर प्रदेश-201012	मांग सूचना की तिथि: 06.03.2023 रु. **11,86,493/-** (रु. ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ तिरानवे मात्र) दिनांक 02.03.2023 तक प्लस दिनांक 03.03.2022 से लागू ब्याज इत्यादि	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी-6 दूसरी मंजिल क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर (बिना छत के अधिकार) प्लॉट नंबर एफ-20 और एफ-21 खसरा नंबर 156ए, साई उपवन गांव यूसुफपुर दादरी गौतम बुध नगर	रु. **9,50,000/-** (रु. नौ लाख पचास हजार मात्र)	रु. **95,000/-** (रु. पिच्चान्वे हजार मात्र)	रु. **18,57,530/-** (रु. अठारह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ तीस मात्र)

1. निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्रों में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव, बयाना राशि तथा स्व-सत्यापित केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि 28/09/2026 को या उससे पूर्व 05:00 बजे अपराह्न है, जो यहां ऊपर उल्लिखित प्रधान/शाखा कार्यालय के पते पर जमा किया जाना है। जो निविदाएं/बोलियां भरी हुई नहीं हैं अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी। 2. बयाना राशि का भुगतान नई दिल्ली-110024 में देय मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में किया जाना चाहिए, जो असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 21/09/2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न के बीच है। 4. संपत्ति की बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि (नीलामी तिथि) 29/09/2026 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर 12:30 बजे अपराह्न है। निविदा/बोली प्राधिकृत अधिकारी तथा सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. बोली 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) के वृद्धि मूल्य से प्रारंभ [illegible]

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली-110024

तिथि: 10 सितम्बर 2026

मैक्सपोज़र लिमिटेड

Maxposure — Content to ROI

CIN: L22229DL2006PLC152087

पंजीकृत कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज़-3, नई दिल्ली - 110020

फोन: +91 (11) 43011111. ई-मेल: cs@maxposuremedia.com, वेबसाइट: www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को शाम 4:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") की मदद से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एमसीए सामान्य परिपत्र 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। ये परिपत्र कंपनी को अनुमति देते हैं कि वह सदस्यों की एक ही स्थान पर उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित कर सकती है। अतः कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पता कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026, यानी कट-ऑफ तारीख को रजिस्टर में दिख रहा है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों-2014 के नियम 20 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी की सेवाओं के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 है।

अधिनियम की धारा 91 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि एजीएम के मद्देनज़र कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 26 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ। सदस्यों को उनके ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए 20वीं एजीएम में हिस्सा लेने के तरीके और ई-वोटिंग के तरीके के बारे में पूरी जानकारी एजीएम की सूचना में दी गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) 20वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ही किया जाएगा। (बी) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (केवल ईमेल द्वारा) का डिस्पैच कार्य मंगलवार 8 सितंबर, 2026 को पूरा हो गया है। (सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (डी) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ई) 20वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com और बिगशेयर की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/ पर उपलब्ध है तथा (एफ) ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं उसका तरीका जानने हेतु और एजीएम में (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से) शामिल होने के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना के नोट 22 में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन के तहत 'शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश' अथवा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और आई-वोट ई-वोटिंग मॉड्यूल https://ivote.bigshareonline.com पर देखे जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 (ईवोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि को शेयर-धारक है) उस स्थिति में वह ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का पालन कर सकता है। साथ ही, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकता है। जो सदस्य पहले से ही डिपॉजिटरीज़ में ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सुश्री पारुल जैन, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : F8323) को आगामी एजीएम के लिए संवीक्षक (Scrutinizer) नियुक्त किया गया है ताकि आने वाली एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा की जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री संदीप मोरे, प्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या एस6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से की जा सकती हैं अथवा आप sandeep@bigshareonline.com पर ईमेल भेज सकते हैं या +91 70454 54395 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों/टिप्पणियों, विशेष रूप से एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

दिनांक: 10.09.2026

स्थान: नई दिल्ली

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से

Sd/-

प्रिया केसरी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एसीएस 22710

PUSH FOR GREATER MANAGEMENT CONTROL, GOVERNANCE RIGHTS

SIA to seek tougher terms for fresh Air India funding

REUTERS
Hong Kong, September 9

SINGAPORE AIRLINES, BACKED by state-owned investor Temasek, is expected to seek greater influence over management and stronger governance rights before approving a capital injection into Air India, said two people familiar with the matter.

The proposed conditions, which would be negotiated with Air India's majority owner Tata Sons, could include greater board voting power and requirements for the Indian carrier to narrow its losses, the people said. Temasek, Singapore Airlines' majority shareholder, would neither provide the capital itself nor intervene in the carrier's decisions concerning Air India, they added.

The discussion of conditions comes after *Reuters* last month reported Air India was seeking about $1.5 billion in fresh equity from its owners.

Two other people said Tata had approved a $1.1 billion infusion, representing its pro-rata share. Singapore Airlines holds the remaining 25.1% stake.

All four of the people declined to be identified as the information is not yet public.

In a statement, Singapore Airlines said its board would carefully evaluate any request for additional capital, taking into account Air India's business strategy, the group's operating cash flow and its other capital requirements.

Temasek declined to comment on "speculation with respect to the points on Temasek." Tata and Air India also did not respond to requests for comment.

TIGHTER CONDITIONS

- Singapore Airlines will weigh funding against Air India strategy, cash flow and capital needs
- The proposed conditions would be negotiated with Air India's majority owner Tata Sons, sources say
- Conditions may include greater board-level voting power and measures to narrow Air India's losses
- Air India last month was looking to raise around **$1.5 bn** in fresh equity from its owners
- Tata Sons had approved a **$1.1-billion** infusion, representing its pro-rata share
- Air India posted **$2.33 bn** loss in FY26, which weighed on SIA's profits

Limited influence

The push for tougher terms reflects growing pressure on Singapore Airlines to justify increasing its investment in Air India, which posted a $2.33 billion loss in the financial year ended March, weighing directly on the Singaporean carrier's profits.

Singapore Airlines has lost money in several past overseas investments, and Tata said in July that Air India's turnaround could take up to a decade. The Indian carrier has appointed former Ethiopian Airlines head Tewolde Gebremariam as its new CEO to replace former Singapore Airlines executive Campbell Wilson.

Singapore Airlines has limited financial influence over Air India. Under a 2022 merger agreement that folded its 49%-owned Indian carrier Vistara into Air India, it received a single board seat, taken up by its CEO Goh Choon Phong. Its stake of more than 25% does, however, give it the power under Indian company law to block special resolutions covering major corporate matters, including mergers, share buybacks and voluntary winding up.

Air India's funding request drew a call from an opposition lawmaker in Singapore for Temasek's funds not to be used to support the Indian airline.

Singapore Airlines said on Tuesday its investments in India will continue to be funded by its internal resources, noting that it had S$10.48 billion ($8.29 billion) in cash reserves and S$3.24 billion in undrawn credit lines as of end-June. Temasek last month publicly backed Singapore Airlines' investment in the Indian carrier, saying it took a long-term view of the decision. Singapore's Senior Minister K Shanmugam said on Saturday any decision to invest in Air India lay with Singapore Airlines.

SC sends Cairn's ₹5.25-crore Sebi penalty case back to SAT

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 9

THE SUPREME COURT on Wednesday remanded back to Securities Appellate Tribunal (SAT) a matter in which markets regulator Sebi had imposed a penalty of ₹5.25 crore on Cairn India, a part of Vedanta, for making a misleading announcement regarding the buyback of shares in 2014.

A bench of Justices J B Pardiwala and K V Viswanathan said the scrutiny of conflicting trading data, and the determination of which of the two versions is to be accepted is an exercise that properly belongs to SAT.

A buyback of shares is a corporate action where a company repurchases its own shares from existing shareholders.

"Having perused the impugned order, we find that SAT does not appear to have engaged with the discrepancy between the investigation report and the NSE's letter at all.

"Since this is a material infirmity going to the evidentiary root of the Adjudicating Officer's order, one which SAT itself never examined or adjudicated upon, we are of the view that the matter ought to be remanded to SAT so as to enable it to render a considered finding on this specific aspect, upon a proper examination of the record," the bench said.

The top court directed SAT to first determine, upon a proper scrutiny of the trading data placed before it by both parties including the data furnished by the NSE, as to which version of the historical trading data is free from discrepancy and accurately reflects the true position.

"Upon doing so, SAT shall record specific findings on each of the instances of discrepancy noted hereinabove, as also any other such discrepancy that may be brought to its notice," the bench said.

"In exercise of its powers under Section 15U(2) of the Sebi Act, SAT may summon and examine on oath the officers of the respondent company, the merchant bankers engaged by it and/or any other person acquainted with the facts of the matter...," it added.

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had imposed a penalty of ₹5.25 crore on Cairn India for making a misleading announcement regarding the buyback of shares in 2014.

In addition, the regulator levied a fine of ₹15 lakh each on P Elango, who was the CEO and director of Cairn, Aman Mehta, who was the director on the company's board, and Neerja Sharma, who was director (risk assurance) and company secretary, the market regulator had said.

These three officials had signed the public advertisement regarding the buyback in January 2014 and facilitated the company in making the misleading announcement. After a detailed investigation, Sebi found that Cairn did not place adequate buy orders despite the availability of adequate sell orders at NSE.

The regulator had further noted that Cairn was not able to fulfil at least 50 % of the buyback issue, despite the conditions were favourable to the company.

FRESH SCRUTINY

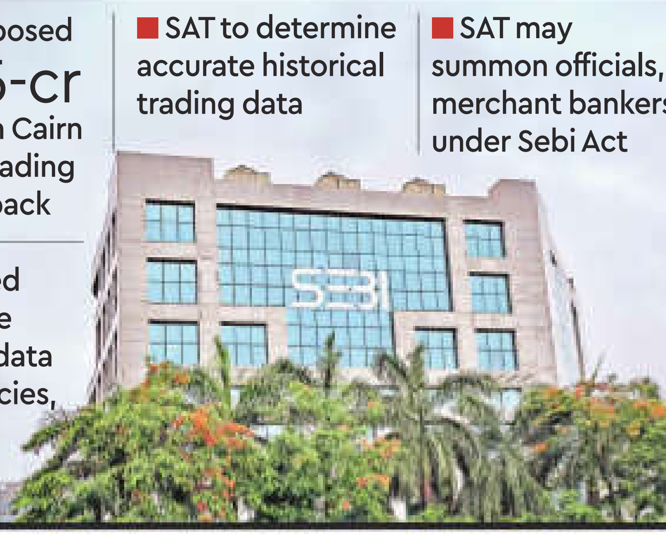

- Sebi imposed **₹5.25-cr** penalty on Cairn over misleading 2014 buyback
- SAT failed to examine Sebi-NSE data discrepancies, says SC
- SAT to determine accurate historical trading data
- SAT may summon officials, merchant bankers under Sebi Act

TCS launches India's first fully automated facility in Pune

FE BUREAU
Mumbai, September 9

TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) has launched what it calls India's first "lights-out" factory lab at its Sahyadri Park campus in Pune, as the IT services company looks to help manufacturers use artificial intelligence and robotics to automate factory operations.

A "lights-out" factory refers to a manufacturing facility where automated systems can run production with little human intervention.

The TCS Industrial Autonomy & Engineering Lab – Lights-Out Factory will demonstrate how a manufacturing assembly line can operate with minimal human intervention by combining AI, robotics, digital twins, factory control systems and real-time operational data.

The facility will simulate how self-optimising factories can automate operations using the TCS Human + AI Service Autonomy Model.

It houses a fully robotic battery pack assembly line and is designed to help manufacturers test and develop automation systems before deploying them in actual factories.

TCS said the lab will allow customers to explore different industrial scenarios, assess whether new technologies are suitable for production and reduce deployment risks.

Mumbai office realty to clock double-digit growth in 4 yrs

MUMBAI'S OFFICE REAL estate market is projected to record double-digit growth between 2027 and 2030, according to a new report.

Office demand is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12-15% during the period. Residential sales and industrial and logistics demand are expected to expand at CAGRs of 6-8% and 5-8%, respectively, according to a report released at the CII Real Estate Summit 2026 in Mumbai on Wednesday. Office remains the city's largest commercial segment by annual volume, with average annual demand of nearly 11.8 million sq ft between 2022 and 2026.

Total office stock is projected to grow 1.3 times by 2030. Mumbai accounted for nearly 16% of India's office inventory as of H1 2026.

"By 2030, Mumbai has the opportunity to emerge as one of the world's major economic engines," said Anshuman Magazine, chairman and CEO-India, South-East Asia, Middle East & Africa, CBRE.

FE BUREAU

Asepto sets up plant in Egypt as gateway to global markets

SUGANDHA MUKHERJEE
Ain Sokhna (Egypt),
September 9

FLEXIBLE PACKAGING AND solutions company UFlex's aseptic liquid packaging business, Asepto, expects its newly-established manufacturing facility at Ain Sokhna, Egypt, to serve as a strategic gateway to six major international markets. The plant will reach full utilisation of its 12 billion-pack annual capacity by 2030.

The $126-million greenfield facility, located on the Gulf of Suez close to the Suez Canal, is currently undergoing customer trials, with commercial production likely to begin by end of the calendar year.

"The plant is expected to operate at around 30% utilisation in the first year, rising to 70% in the second year and reaching 100% by 2030," said Ashwani Kumar Sharma, president and CEO of UFlex's liquid packaging business, on Wednesday. The 30-acre facility is Asepto's second manufacturing location after its 72-acre facility in Sanand, Gujarat. B

The difference in footprint reflects the higher degree of automation and integration built into the new facility, according to Sharma. The Ain Sokhna plant brings printing, inspection, extrusion lamination, slitting, material handling and final packaging into a single manufacturing operation, with equipment sourced from Germany, Austria, the Netherlands and Italy. Asepto is positioning Egypt as a single manufacturing node connecting Europe, the Commonwealth of Independent States (CIS), Africa, the Gulf Cooperation Council (GCC) and West Asia, Latin America and North America.

ASHWANI KUMAR SHARMA, CEO, UFLEX'S LIQUID PACKAGING OPS

> A combination of trade deals & strategic location makes Egypt an exciting market

The company is also pointing to Egypt's extensive network of free-trade agreements as an advantage for exports. These include preferential market access through the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Greater Arab Free Trade Area (GAFTA) and the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), as well as trade arrangements with markets covered by the Agadir Agreement, Turkey, MERCOSUR (Southern Common Market) and EFTA (European Free Trade Association).

"Egypt is in close proximity to the GCC, MENA and European markets. The total market size across these regions is $25-26 billion and is likely to double in approximately eight years. Growth in this region is fantastic. We also have excellent trade agreements that give us access to these markets from Egypt. So, it is the combination of trade deals and Egypt's strategic location that makes it an exciting market...," said Sharma.

(The correspondent was in Egypt at the invitation of UFlex)